

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

(षष्ठम सत्र)

मौखिक उत्तर हेतु स्थगित प्रश्न

वीरवार, 29 अगस्त, 2024/7, भाद्रपद, 1946 (शक्)

[मुख्य मंत्री - उप-मुख्य मंत्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री - कृषि मंत्री - उद्योग मंत्री - राजस्व मंत्री - शिक्षा मंत्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री - लोक निर्माण मंत्री - नगर एवं ग्राम योजना मंत्री तथा आयुष मंत्री] .

कुल प्रश्न - 2

भर्तियां

*1411 श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा) :

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) यह सत्य है कि दिनांक 31.12.2023 को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला द्वारा चुनाव व उद्योग विभाग में पदों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया और इन दोनों विभागों की रिक्तियों में कोई भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग का नहीं है; यदि हां, तो कारण एवं ब्यौरा 200 प्वाइंट रोस्टर व विज्ञापन सहित दें;

(ख) यह सत्य है कि सरकार द्वारा पदपूर्ति आरक्षण की व्यवस्था के लिए जो 200 प्वाइंट रोस्टर का प्रयोग किया जा रहा है, उसकी अनुपालना हेतु प्रत्येक विभाग में एक उप-सचिव स्तर का संपर्क अधिकारी भी नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो गत दो वित्तीय वर्षों में इन संपर्क अधिकारियों ने रोस्टर के अनुसार आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कितनी बैठकें की हैं; ब्यौरा बैठकों की तिथिवार व संपर्क अधिकारियों के नाम सहित दें?

आरक्षण

*1499 श्री पवन कुमार काजल (कांगड़ा) :

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) यह सत्य है कि उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी तथा निजी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में ई0डब्ल्यू0एस0 सहित सभी वर्गों को उच्चतर शिक्षा में आरक्षण दिया गया है परन्तु ओ0बी0सी0 के आरक्षण को हटा दिया गया है; यदि हां, तो क्या सरकार इस वर्ग को उच्चतर शिक्षा में आरक्षण देने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं, तो कारण;

(ख) यह सत्य है कि प्रदेश में सभी तरह के उच्च शिक्षण संस्थानों में ई0डब्ल्यू0एस0 सहित सभी वर्गों तथा उप-वर्गों को आरक्षण दिया जा रहा है परन्तु ओ0बी0सी0 को मात्र तकनीकी शिक्षा, जे0बी0टी0 एवं बी0एड0 को छोड़कर अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में राज्य की पॉलिसी के अनुसार आरक्षण नहीं दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य की पॉलिसी के अनुसार आरक्षण देने का विचार रखती है; ब्यौरा दें?

शिमला: 171004

यशपाल शर्मा,
सचिव।